

671

130

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(54)नवि/3/2011

जयपुर, दिनांक

11.9 JUN 2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. परिसर नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" आयोजित करने बाबत दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" हेतु विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा और इसके अनुक्रम में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विविध आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं/छूटें दी गयी हैं तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.2013 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012-13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) के साथ दिनांक 31.3.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.6.2013 तक निर्धारित की गयी थी, जिसे अब बढ़ाकर दिनांक 31 जुलाई, 2013 किया जाता है। उक्त शिथिलताएं/छूटें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 31 जुलाई, 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू मानी जायेगी।

संबंधित जिला कलक्टर अपनी सुविधानुसार समय-समय पर अभियान की समीक्षा भी करेंगे।

अतः तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुणदयाल सिंह संधू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(407)